राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 31/2015/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :– 16.09.2019

अनवान

1. श्रीमति पप्पू कंवर पुत्री कानसिंह जी जाति राजपूत पत्नि भीकमसिंह आयु बालिग निवासी मालकोट हाल सोलंकियों का गुडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्रीमति कैलाश कंवर पुत्री कानसिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़ पत्नि भंवरसिंह जी निवासी रघुनाथ सिंह जी का गुडा (रढाव) तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

——वादीगण

बनाम

1. श्री धनसिंह पिता कानसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़
2. श्री गायड सिंह पिता कानसिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़
3. श्रीमति दरियाव कंवर पत्नि कानसिंह जी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़
4. अभयसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ
5. मुलसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़
6. संग्रामसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत आयु बालिग निवासी मालकोट तहसील देवगढ़
7. प्रेम कंवर पिता सोहनसिंह पत्नि भगवानसिंह राजपूत आयु बालिग निवासी रावणीयास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर पोस्ट मादलिया
8. सुखीया कंवर उर्फ सुखा कंवर पिता सोहनसिंह पत्नि भीख राजपूत आयु निवासी वडी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली पोस्ट ठाकरवा
9. सुप्यार कंवर उर्फ दरीया कंवर पिता सोहनसिंह पत्नि गोवर्धन सिंह राजपूत आयु बालिग निवासी रावणीयास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर पोस्ट मादलियां
10. सन्तु कंवर पिता सोहनसिंह पत्नि हेम सिंह राजपूत आयु बालिग निवासी भाणका तहसील देसूरी जिला पाली पोस्ट पंथा
11. भेरूसिंह पिता मूलसिंह राजपूत आयु बालिग निवासी सोलकियों का गुडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. सोहनसिंह पिता गोकल जी कलाल निवासी वाणियाहाटडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
13. उदा पिता खेता बलाई निवासी मालकोट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
14. बागा पिता खेता जी बलाई निवासी मालकोट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
15. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
16. श्रीमान सबरजिस्ट्रर महोदय तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
17. श्रीमान संरपच साहब ग्राम पंचायत काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–53–188–183 राजस्थान टिनेन्सी

उपस्थित :– 1. श्री राजूसिंह वकील वादी

2. श्री इन्द्रमल कंसारा वकील प्रतिवादी संख्या 12,13

3. श्री राजेश समदानी वकील प्रतिवादी संख्या 1,2,3

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की वादीगण के पिता स्वर्गीय श्री कानसिंह व प्रतिवादी संख्या 4,5,6,7,8,9,10 के पिता स्वर्गीय श्री सोहनसिंह राजपूत निवासी मालकोट जो आपस में सगे भाई थे। उनकी भूमि के आराजी नम्बर 79 शामिल नम्बर 80रकबा 2.01 बीघा, आराजी नम्बर 84 रकबा 2.19 बीघा, आराजी नम्बर 59 रकबा 5.06 बीघा, आराजी नम्बर 86 रकबा 2.15 बीघा, आ.चाह.नम्बर 81 रकबा 0.06 विस्वा, आराजी नम्बर 82 रकबा 2.09 बीघा, आराजी नम्बर 85 रकबा 2.12 बीघा, आराजी नम्बर 129/56 रकबा 1.00 बीघा ग्राम मालकोट तहसील देवगढ़ में स्थित होकर उक्त आराजीया वादीगण पिता का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4,5,6,7,8,9,10 का 1/2 हिस्सा हैं। वादीगण के पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त आराजीयात में वादीगण के भाई प्रतिवादी संख्या 1 धनसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 गायडसिंह प्रतिवादी संख्या 3 दरियाव कंवर के खाते दर्ज हो गई तथा यह भूमि वादीगण के पिता के देहावसान के खाते दर्ज हो गई तथा यह भूमि वादीगण के पिता के देहावसान के बाद समस्त भाई – बहन व बेवा के नाम दर्ज होनी थी उसमें वादीगण व उनकी बहन पूटरकंवर का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं कराया गया। वादीगण के भाई ने तथ्य छिपाकर नामान्तकरण अपने नाम करवा दिया। नामान्तकरण की जानकारी वादीगण को उनके ससुराल में रहने से नहीं हो सकी उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता की खातेदारी की होने से हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण के पिता के स्वर्गवास पश्चात् विरासत से वादीगण व उनकी बहन पूटरकंवर के नाम भी खातेदारी में विरासत से दर्ज होना चाहिये था। जो नहीं हो पाया जिससे वादीगण को जानकारी होने पर वादीगण अपने पिता की भूमि में हिस्सेदारी की घोषणा कराने की अधिकारिणी हैं। वादीगण के पिता के स्वर्गवास पश्चात् भूमि केवल विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खाते दर्ज होने से उक्त आराजी नम्बर 79 शामिल नम्बर 80में से 1.00 बीघा व आराजी नम्बर 84 में से 1.00 बीघा भूमि व चाह नम्बर 81 में से 2 ..... हिस्से का दिनांक 06.04.2003 को प्रतिवादी संख्या 12 के हक में हमारी बिना सहमति के रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा विकय कर दी जो अवैध हैं। प्रतिवादी संख्या 12 ने उक्त 2.00 बीघा भूमि हिस्से चाह को दिनांक 21.04.2015 करे प्रतिवादी संख्या 13 व 147 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कर दी इसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 23.04.2015 को हुई। अब प्रतिवादी संख्या 12,13,14 मिलकर उक्त भूमि का कब्जा लेने व भूमि का अंकन राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी

एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराकर भूमि को अन्यत्र बेचान करने की धमकी दे रहे हैं। मौके पर हमारा कॉमन परेशान हैं। अतःवादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मालकोट तहसील देवगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 79 शामिल नम्बर 80,84,81 में वादीगण के पिता कानसिंह का कुलियां भूमि में 1/2 हिस्सा था इस 1/2 हिस्से में से वादी संख्या 1,2 व प्रतिवादी संख्या 11 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा जो कुलिया भूमि का 1/12 हिस्सा बनता हैं के खातेदार टेनेन्ट घोषित करने की डिक्री फरमाई जावें एवं वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 12,13 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावें कि उक्त प्रतिवादीगण अवैध रजिस्ट्री के आधार पर भूमि में अपने नाम खाता नही खुला एवं भूमि को अन्यत्र ट्रान्सफर नहीं करें तथा ग्राम पंचायत भूमि का नामान्तकरण नहीं करें। सब रजिस्ट्रार उक्त भूमि का हस्तान्तरण पंजियन नहीं करें। वादग्रस्त खसरा नम्बर 82,85 व 129/156 में हमारे पिता कानसिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज करने की डिक्री फरमाई जावें। साथ ही आराजी चाह खसरा नम्बर 81 रकबा 0.06 विस्वा में हम बहनों व भाईओ एवं माता जो स्वर्गीय कानसिंह के वारिस हैं का 1/2 हिस्सा दर्ज करने की डिक्री फरमाई जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 एवं 14,17 को सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया ब्लकि बावजूद सूचना अनुपस्थित से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई हैं। प्रतिवादी संख्या 12,13,14 ने जवाब पेश किया। विपक्षीगण ने जवाब में निवेदन किया हैं कि प्रतिवादी संख्या 12 से वादग्रस्त आराजीयात कय की एवं उक्त भूमि अपने नाम कराने का अधिकारी हैं। आराजी नम्बर 59 रकबा 5.06 बीघा, आराजी नम्बर 82 रकबा 2.09 बीघा, आराजी नम्बर 85 रकबा 2.12 बीघा, आराजी नम्बर 129/56 अभी भी प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के नाम दर्ज रेकार्ड चल रहीं हैं। प्रार्थीया अगर हक हकुक लेना चाहे तो वह माफिक हिस्से उक्त आराजीयात में से ले सकती हैं एवं उनके माफिक हिस्से सम्पूर्ण आराजीयात में से हिस्सा हक हकुक ले सकती हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को बिना निरस्त कराये किसी भी प्रकार का वाद चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 12 लगभग 13 वर्षों से एवं प्रतिवादी संख्या 13,14 वक्त खरीद से काबिज कास्त हैं। वाद बेरून मियाद मिलीभगत से पेश किया गया हैं। भूमि प्रतिवादी संख्या 13,14 जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनके हक अधिकारों को मरहुम रखने के लिये प्रार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर उक्त वाद पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 13,14 को डराया धमकाया जा रहा हैं। वादीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा कास्त नहीं रहा वाद झुठे व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैं जो काबिले निरस्त योग्य हैं। अतः वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जावें। साक्ष्य में वकील वादी ने पप्पू कंवर, कैलाश कंवर पेश कराये। वकील प्रतिवादी ने

में बहस की वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि वादीगण के पिता के स्वर्गवास पश्चात् वादग्रस्त भूमि वादीगण के भाई धनासिंह प्रतिवादी गायडसिंह एवं दरियाव कंवर के खाते में दर्ज हो गई तथा यह भूमि जो वादीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद सभी भाई – बहन व बेवा के नाम दर्ज होनी थी लेकिन वादीगण के ससुराल में रहने से इसकी जानकारी वादीगण को नहीं हो सकी। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार वादीगण के पिता के दिवगत होने र विरासत से वादीगण व उनकी बहन पूटरकंवर के नाम भी विरासत से खातेदारी में दर्ज होने चाहिये थे जो नहीं हुऐ। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में माफिक हिस्से वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के आदेश प्रदान करावें। वकील प्रतिवादी ने बहस में तर्क दिया कि वादीगण ने महज प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह वाद पेश किया हैं जो झुठा हैं वादीगण का विवाह वर्षों पूर्व कानसिंह के जीवनकाल में हो गया एवं वह विवाह के बाद अपने ससुराल में रह रही हैं उन्होने अपने पिताजी की सम्पति भाई एवं माता के हक में त्याग की एवं उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1,2,3 ने प्रतिफल प्राप्त कर वाद ग्रस्त आराजीयात का कुछ हिस्सा खसरा नम्बर 79,84,81 को प्रतिवादी संख्या 12 को जरिये रजिस्टर्ड आज से करीब 16 वर्ष पूर्व विकय किया तब से उक्त भूमि के क्रय किये गये हिस्से पर सोहनलाल का हक हकुक व कब्जा था एवं उसी हक हकुक व कब्जे के आधार पर सोहनलाल ने अपने हिस्से की भूमि प्रविादी संख्या 13 व 14 को जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 21.04.2015 को विकय की । विकय पत्र विधिवत रूप से प्रतिफल प्राप्त कर किया गया जो वैध हैं। बिना रजिस्टर्ड विकय पत्र को निरस्त कराये किसी प्रकार का वाद चलने योग्य नहीं हैं प्रथम दृष्टिया वाद निरस्त योग्य हैं।। हमने वादी के वादपत्र, जवाब,प्रतिवादी सख्या 12,13,14,15,16 शपथ पत्र गवाहान जिरह वकील प्रतिवादी, नकल जमाबंदी विकय पत्र एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम में पिता की सम्पति पर पुत्रों के समान पुत्रियों का भी हक होता हैं लेकिन वादग्रस्त भूमि में पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम मालकोट तहसील देवगढ़ में स्थित आराजी नम्बर 79 शामिल नम्बर 80 रकबा 2.01 बीघा, आराजी नम्बर 84 रकबा 2.19 बीघा, आराजी नम्बर 59 रकबा 5.06 बीघा, आराजी नम्बर 86 रकबा 2.15 बीघा, आ.चाह.नम्बर 81 रकबा 0.06 विस्वा, आराजी नम्बर 82 रकबा 2.09 बीघा, आराजी नम्बर 85 रकबा 2.12 बीघा, आराजी नम्बर 129/56 रकबा 1.00 तथा आराजी चाह नम्बर 81 रकबा 0.06 में वादीगण के पिता कानसिंह का 1/2 हिस्सा था इस 1/2 हिस्से में से वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 11 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा जो कुलिया भूमि का 1/12 हिस्सा बनता हैं में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

देवगढ़ जिला–राजसमन्द